



इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ाट

वर्ष -38 ● अंक -14 ● कानपुर 16 से 31 जुलाई 2016 ● प्रधान सम्पादक - डॉ एमो एचो इदरीसी ● वार्षिक मूल्य - ₹100

पत्र व्यवस्था हेतु पता —  
समाचारक  
इलेक्ट्रो हाईसी मैक्रोफोन गजट  
127 / 204 'एस' युडी, काशीपुर-208014

## **सुप्रीम कोर्ट के आदेश 22 जनवरी, 2015 के परीक्षण का समय आ ही गया**

एक बार किर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये 22 जनवरी, 2015 को माननीय सुशील कोटे द्वारा पारित आदेश का गलत ढंग से परिचालित कर नियमों को पूरा करने का कार्य लोगों द्वारा किया जा रहा है जो कि न तो विफिलता पद्धति के हित में है और न ही उस व्यक्ति के हित में है जो 22 जनवरी, 2015 के इस आदेश का गलत प्रस्तुतिकरण कर रहा है।

सुधीन कॉर्ट ने 22 जनवरी, 2015 को जो आदेश दिया था वह पूर्णतयः स्पष्ट है वह आदेश किसी भी संस्था या संगठन को न तो कार्रव करने की अनुमति प्रदान करता है और न ही कार्रव करने की अनुमति साकरता है, आपको एक बार पुनः इस सुधीन कॉर्ट के आदेश की पूर्णतयांनि पर ले जा रहे हैं दिल्ली की एक संस्था द्वारा जुलाई 2012 को एक विशेष अनुज्ञा प्राप्त की गयी थी। इसका उत्तराधिकारी ने इसकी अनुमति दिल्ली के एक संस्था द्वारा ले ली गयी थी कि इसकी संस्था द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रदेश में कार्रव करने हेतु आदेश पाने के लिये याचिका दर्तव्य 7898/12 लगायी गयी थी। इस याचिका की सुनावायी के बाद माननीय विधान न्यायालीकों द्वारा दिनांक 21-02-2012 को पारित आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश प्रदान किया जाय।

इनको हमें देखते ही उनका अन्तर्गत कार्रव करने की अनुमति दिल्ली के बाद उनकी विशेषता वाला भारत सरकार को प्रलूब करे इस विशेषता लिमिट ने वह जगत की कालीतम व बेनकाल के बाद उनकी विशेषता प्रलूब ही इन विशेषता की गयी। संस्थानियों के आपातकालीन पर भारत सरकार के स्वास्थ्य व अन्तर्राष्ट्रीय ने 25 नवम्बर, 2003 को अन्वारतः एक आदेश पारित किया इस आदेश की मालती व्यावधाया का परिणाम सारे देश में लागू हो गया और इसका स्पष्टीकरण 05-05-2010 को आया, इसका स्पष्टीकरण के आते ही पूरे देश में इनको हमें पूर्णतयांनि पुनः ऊर्जा का संवरप हुआ लेकिन इस कार्रव करने के लिये कुछ नियम कानून और दिशानिर्देश होते हैं, भारत सरकार द्वारा 21 जून, 2011 को वह दिशानिर्देश जारी किये गये, ही। इसबाद वह

माननीय सूचीम कोर्ट ने 16 जुलाई, 2012 को इस आदेश में स्थान आदेश पारित किया और पूरे देश में इलेक्ट्रो होमोपैथी के लिये एक और अवधार प्रदान किया।

सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सुनवायी के बाद 22 जनवरी, 2015 को इस बाद का नियतारण यह कहते हुये कर दिया कि अपीलकर्ताओं ने माननीय न्यायालय को बताया कि भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी को ऐडिकल प्रैक्टिस पर रोक नहीं है इस लिये अब हम अपीलकर्ता का बाबत के अपने दावे को वापस लेते हैं। अब सभाग्रने की बात महज़ पर यह है कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को प्रैक्टिस पर कभी नहीं कोई रोक नहीं लगायी थी, 1998 से लेकर 2001 तक भारत

जाने सम्बन्धी सौकड़ों प्रतिवेदन प्रेषित किये जा सुके थे घरन्यों प्रवर्षणों और राजनीतिक दबावों के साथ-साथ 18 नवम्बर, 1998 को मानवीय दिल्ली उच्चायालय नई दिल्ली द्वारा इन्हें को होन्योपैथी के सम्बन्ध में कानून बनाने हेतु पारित ऐतिहासिक अदायक गया। यह भारत सरकार ने एक विशेषकाली

एसोसिएशन गॉड इण्डिया की पहली व प्रायासों का परिणाम था। इमर उम्पर में एक मुकदमा 820 / 2002 श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री १० पी० मुख्य मुख्य सचिव उम्पर में 28 जनवरी, 2004 में पारित आदेश "कि सभी विकित्सक अपने पर्यायन का अवेदन जनपद के मुख्य विकित्साविकारी कार्यालय

तथ्य निहित हैं बोर्ड के लिये  
रासना तो साफ़ होमया था परन्तु  
उस समय प्रदेश में संचालित हो  
रही अन्य सारांशों द्वारा उच्च  
खात्रायलम्ब में अनेक कार्डटम द्वारा  
किये गये जो सभी के सभी  
खात्रिज कर दिये गये थे।

एक आदेश इलेक्ट्रो  
होम्योपेशी को आज भी दीर्घ  
पहुँचाता रहता है जो याचिका

हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। यहां पर हम एक बार किरणपत्र कर दें कि ०४ जनवरी, २०१२ का आदेश आवधि अंतिम दिन क्यों है? प्रदेश में कार्य कर रही पश्चिमयन्धवाल की एक संस्था को १५ दिसंबर, २०११ को इसी तरह का एक आदेश प्राप्त था जिसे वह लिन उचित आदेश में ८२० / २००२ में पारित आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया था, इसी तरह नई दिल्ली की एक संस्था जो १०० पी० स्टॉट में एक ड्राइंग जी बाटी ही अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐन-केन-प्रकारण ०७ नवम्बर, २०१३ को एक आदेश प्राप्त किया गय आदेश इन हातों के साथ इस संस्था विशेष को तबतक कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है “इलेक्ट्रो हील्पोपोर्टी चिकित्सा प्रयोग संस्था साकारा में बनाया

पद्धति गार्ह तरकर से भाव्यता प्राप्त नहीं है एवं याकी को अपने नाम के सम्बन्ध "लाइसेंस" रखने लगाने का अधिकार प्राप्त नहीं है को बजरंग: पालन करना होगा ।" इस शासनादेश में भी संस्था द्वारा 820/2002 में परिदिवार आदेश को अनुपालन नहीं किया गया, इस संस्था को जो आदेश

प्राप्त हुआ है उसमें रपट लिखा है कि संस्का इस आदेश का उपर्योग तभी तक कर सकती है जबतक वागनीय सूचीम तक में विवारातीन विशेष अनुदाय। चिक। (सिविल) संस्का-19046/2012 में पारित

शेष पेज 3 पर

सम्मानित विकित्सक प्रतिशा और विकसित करें

आत जो विकितक सम्पर्कित हुये हैं उनका दृष्टिरूप है कि वे अपनी भवित्व का लौटाएंगे। इनकी काम विसर्ग का सम्पर्कजन कर माया द्वारा देखी होमोसोपैथी की लोकविज्ञान और वह जो विकितकों का काम विश्वासित हस्तियों की बड़ी जाता है जैसे सामने पाया हो या उसमें विकितक तो विश्वासित होने की बराबरी है।

उपर्युक्त विवरण के बाहर पर ही हाँदेमे विविधता प्राप्ति की है इनसिये और अधिक कामों के साथ काम करते हुए विश्वासित से विविधता की प्राप्ति कर यह उदाहरण बयानम गहावीर द्वारा देखी गई दृष्टिरूपी इनटीलूक्ट जीनपूर्व ने आपातिता विविधताओं का सामने सामारोह एवं संविनाश कार्यक्रम में मुख्य भूमिका ढाया। एवं एक दूसरी बैंकेमें बोर्ड अकेले होमोसोपैथिक मैटिसिन, 3000 ने व्याप्ति किये।

बड़े इनटीलूपी ने बताया कि प्रदेश में दृष्टिरूपी होमोसोपैथिक की स्थिति विषय-प्रश्नियोंन मनकूप होती रही ही है। कार्य करने का बतावन बहु दूरा के कुछ लोगों द्वारा इसी भूमिकायां की ओर में चुनियोस प्राप्त विवेद यां रहा है ऐसे प्रश्नों को लिखकर कार्य के माध्यम से जीवन विविधता का सामान द्वारा तात्पुरता है, ले विकितक सम्पर्क बहुत दूरे कार्य करे और सुझ विकितकविभागी कामयोजना के विविधान का अवैधन अवधारण करे, इस अवधारण पर यह इनटीलूपी ने वार्षिकन के अपार्टमेंट प्राप्त बुकर बैंकों को बहुत दूरे कहा कि निसन्देह उनके प्रबल साहानीय हैं ऐसे कामोंकों का जारीजार जयं सामने पर मैं हांगे चाहिये, हमारे पूर्वानुभव में दृष्टिरूपी होमोसोपैथिक का जो विषयक है उसके सिवे पूर्वानुभव के विविधताओं को कहाया।

कार्यालय को सम्बन्धित करो दूरे दूरे इन्वेंटर बारावार्ड बालाचीयक इलेक्ट्रो होमोसोपैथिक मैटिसिन एलेक्ट्रोइलूपन ऑफ इन्डिया का बहुत ज्ञान का बहु काम्पेन मूल्यानुभव की बोरिंग में बात बीच लगा रहा है, इस प्रकार के कामोंकों से उदाहरण बालव बदला है विवाह

जानकरकता अटी है और यही ज्ञान इनको हमें प्रोत्तेके के लिए आवश्यक है, संस्कृत धर्म के बाद वस्त्रालंपि यही उत्तरांश नहीं कर याम यामकरता के अनुभव का योग्यी है। विश्वित रूप से इन व्यापार के पर्यावरण में हमारे विकल्पों को नई—नई सूझावों के साथ—साथ यामकी नैतिकता को मौजूदी करनी होती है, इनी जल्दी का संयोग करके इन विकासों के पाय लाये बढ़ाव है जिस विद्यालय का यह रूप बढ़वाकृति के उत्तरांश विद्यम मन्त्रालय के द्वारा प्राप्त ही मिलता हुआ लिखित कर्मणीकी भी सौचि लिख दिए रिकार्डों में दर्शक रूप में संकार करे, यात्रियों के विद्यालय के विद्यार्थीयों द्वारा दिलाई गई विद्यार्थीयों की विद्यार्थीयों का अनुभव याम करना ही वहांग, इम लंगे ज्ञान विद्यालय के बड़े से बड़े अधिकारियों द्वारा का आवश्यक अनुभव प्रदान करते हैं तो यह यामें यामवाहन करने विद्यार्थीयों द्वारा याम करने विद्यार्थीयों को बढ़ावा देता है। यहां प्राचार यामकरता का बहुत जननी है, जब यामार्थ ने इस गीती के बारे में साहस्र वाक दिया है कि यामसे वस इत्याहा ही कहना है कि यामी पौधों ने विकितस करे ताका इस देहु तु यह एक विद्यार्थीयमें अपना यामीयन अनुभव कराये उठाने वाले ही ज्ञान कि विद्याय विनाश में जो भी इलेक्ट्रो हमेंप्रोटेक्ट विकितस लिंक्ट कर रहे हैं वे अपने यामीयन के साथसाथ में हमले हाथ सहयोग प्राप्त कर लाती हैं। यह यामरात्रि पर याम युक्त विद्यार्थीयों वित्तियां आए ही पैदा विद्यालय ने सामनांतर तथा युक्त अन्तिमिति वाले एष्ट एवं इवरीटी ने सूती विनाश इलेक्ट्रो हमेंप्रोटेक्ट विकितस करनी विरुद्ध यामीयों, एस एल वीरीय, अम्बा एल विद्यार्थी, विद्यार्थीयों, राजान् कुमार दर्शी, गवाहीनी यामद, अम॒ औं यामद, अम॒ विद्यार्थीयों, अमान् कुमार विद्यार्थी, दिलीप वन्द वीरावत्तम, युक्तो कुमार विद्यार्थी, विद्यार्थीयों, और वसलनीय, ताज वलाहुर विद्यार्थ, युक्त

पंजीकरण से बचाव नहीं

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सबसे महत्वपूर्ण विषय विकित्सकों के पंजीकरण का है और यह विषय अब और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिये हो गया है क्योंकि प्रदेश में बहुत दिनों से लागू होने के लिये लाभित पड़ा विलिनिकल स्टैटिस्मेन्ट एक्ट 2010 की तर्ज पर रजिस्ट्रे शन के प्राविधान लागू होने जा रहे हैं, प्रदेश सरकार ने कबिनेट में इस आशय का प्रस्ताव भी पारित कर दिया है, विभागीय कार्यवाही भी बढ़ी तेजी के साथ चल रही है, जैसे ही प्रारूप तैयार हुआ प्रदेश में यह नियम लागू हो जायेगा।

हम हर उस सरकारी कार्यवाही का सम्मान करते हैं जो सरकार द्वारा निर्णय में लाये जाते हैं चैकि यह बात एकदम स्पष्ट है कि विकित्सक को जिस राज्य में विकित्सा व्यवसाय करना है उसे उस राज्य के प्रचलित कानूनों और नियमों का पालन करना ही होगा तभी विकित्सक अधिकार पूर्वक विष समत डंग से विकित्सा व्यवसाय कर सकता है, यह नियम मात्र इलेकट्रो होम्योपैथी के लिये नहीं अपनी सभी प्रबलत विकित्सा पद्धतियों पर प्रभावी होता है, इसे हम विडम्बना ही कहेंगे कि पता नहीं क्यों हमारा इलेकट्रो होम्योपैथी विकित्सा पद्धति का विकित्सक पंजीयन के नाम से घबड़ाता है अधिकार तो मान्यता प्राप्त विकित्सा पद्धतियों की मात्रा चाहता है लेकिन जब कर्म की बारी आती है तब वह बहुत पिछड़ जाता है, ऐसी स्थिति में यह विकित्सक किस प्रकार इलेकट्रो होम्योपैथी का भला कर पायेंगे ! गत तीन वर्षों से बोर्ड ऑफ इलेकट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०५० निरन्तर इलेकट्रो होम्योपैथिक विकित्सकों को पंजीयन के विषय पर जागरूक कर रहा है, विकित्सकों को जागरूक करने के लिये बोर्ड द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम “विकित्सक अधिकारिता जागरूकता अभियान” है, इस अभियान के माध्यम से बोर्ड सीधे विकित्सकों से जु़ब रहा है और हर विकित्सक को यह स्पष्ट निर्देश दिये जा रहे हैं कि अपने अधिकारों को पहचानें और जागरूक होकर अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करें हर विकित्सक को यह बताया जा रहा है कि प्रदेश में विकित्सा व्यवसाय करने के लिये हर विकित्सक को जनपद के मुख्य विकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन का आवेदन करना है यह कार्य हर विकित्सक के लिये आवश्यक है क्योंकि जनपद के मुख्य विकित्साधिकारी कार्यालय में बिना पंजीयन आवेदन के प्रैविट्स करना अवैधानिक और अनाधिकारिक है, यह पंजीयन इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि इस पंजीयन का आवेदन इस बात को प्रभागित करता है कि पंजीयन के लिये आवेदन करने वाला विकित्सक विकित्सा व्यवसाय करने के लिये अधिकार प्राप्त है जो विकित्सक बिना मुख्य विकित्साधिकारी कार्यालय में आवेदन किये बिना प्रैविट्स कर रहे हैं वह लाख पढ़े लिखे हों और अपनी कारनिसल में विधिवत पंजीकृत भी हों किर भी ओलांचाप की बेणी में आ जाते हैं, इलेकट्रो होम्योपैथी के लिये प्रदेश सरकार द्वारा ०४ जनवरी, २०१२ को शासनादेश जारी कर प्रदेश के इलेकट्रो होम्योपैथी के ऐसे विकित्सक जो बोर्ड ऑफ इलेकट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०५० से शिक्षित, प्रशिक्षित व पंजीकृत हों को विकित्सा व्यवसाय करने हेतु शासकीय अधिकार प्रदान कर दिया गया है, इस प्रकार अब प्रदेश में इलेकट्रो होम्योपैथी अधिकार प्राप्त विकित्सा पद्धति है इसलिये इस पद्धति के विकित्सकों के ऊपर वही नियम प्रभावी हैं जो अन्य मान्यता प्राप्त विकित्सा पद्धतियों के विकित्सकों के लिये, इसलिये जो विकित्सक पंजीयन से भाग रहे हैं या ऐसा समझ रहे हैं कि वे बिना पंजीयन के ही अधिकार पूर्वक प्रैविट्स करते रहेंगे तो यह उनका बहुत बड़ा भ्रम है, अबतक बचे रहे आगे भी बचे रहेंगे ऐसा सोचा गयत है जब कभी नीरस्थानीय रसर पर जावें प्रारम्भ होती है तब ऐसी विकित्सक या तो वे अपनी विलीनिक बन्द कर भाग जाते हैं या किर किसी तिकड़म में जुट जाते हैं दोनों ही दशायें एक विकित्सक के लिये उचित नहीं हैं।

मैंने कारन तो वह छोड़ते हैं जिनके पास अधिकार नहीं होते या किर अधिकारों को प्रयोग में लाने की उनके अन्दर क्षमता नहीं होती है, अब तो धीरे-धीरे स्थितियां बदल रही हैं सबकुछ आपके ही पक्ष में होता जा रहा है इसलिये पलायन नहीं पंजीकरण की बातें करो।

समस्यायें तो हम स्वयं खड़ी कर रहे हैं

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जब भी कहीं कोई बात चलती है तो समस्याओं की वर्चा अपने आप ही होने लगती है तब यह लगने लगता है कि समस्याएँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हैं यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कर्ताओं - घटाओं में ! समस्याएँ कहीं नहीं होती हैं ? तो इसका उत्तर आयेगा जब तक जीवन है और जीवन में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है तो समस्याओं से हमारा सामना तो होता ही रहेगा लेकिन समस्याओं से डर कर हम अपनी दिशा ही बदल दें या लक्ष्य से हट जायें तो यह किसी समस्या का समाधान नहीं होगा, यदि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की समस्याओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें तो एक बात तो एकदम स्पष्ट हो ही जाती है कि समस्याएँ पहुंचते में या पहुंचते से नहीं हैं अपितृ समस्याओं की जड़ में हमारी अधिकतरी सोच है सब कुछ पाने के बाद भी कुछ न पाने जैसा व्यवहार करना है ? यह किस बात का प्रदर्शन है ? यह साथद समझ से परे है, पिछले कुछ वर्षों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक ऐसा वर्ग ज्यादा सक्रिय हो गया है जिसका विश्वास कर्म से ज्यादा अधिकार प्राप्त कर लेने में है और अधिकार भी व्यक्तिगत होने की लालसा रखते हैं, यही एकमात्र कारण है जो समय लम्बा खिचवाऊ जा रहा है और समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है कभी-कभी तो ऐसा लगने लगता है कि क्या यह अन्तहीन समस्याएँ हैं ? तभी मन कहता है कि ऐसी कोई समस्या अभी तक पैदा नहीं हुयी जिस समस्या का समाधान नहीं हो और समाधान में अस्तु, किन्तु और परन्तु का कोई स्थान होता ही नहीं है देखा जाये तो अब समस्या हो ढूँढ़ करता ही कहाँ ही ? जो भी समस्याएँ हम देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं वे सारी की सारी हानारे द्वारा ही तो पैदा की गयी हैं, अगर हम मन से रित्तर हो जायें और स्वयं पर विश्वास करने लगें तो शान-शान समस्याएँ स्वयं ही समाप्त होने लगेंगी, स्वयं द्वारा इसके उत्तर कुछ समस्याओं पर इस लेख के माध्यम से वर्चा कर रहे हैं सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या है अधिकार पूर्वक प्रैक्टिस करने की यह कोई समस्या नहीं है - 21 जून, 2011 का आदेश राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का अधिकार देता है, 04 जनवरी 2012, 02 सितम्बर 2013, 14 मार्च 2016 हमें प्रदेश में अधिकार पूर्वक कार्य करने के पूर्ण अवसर प्रदान कर रहे हैं, अब जब हम स्वयं ही इन अवसरों का लाभ नहीं उठाना बाहर है तो किसी का व्याधों ? न्यायालय का आदेश है जिसपर शासन की मुहर भी है कि विकित्सा प्रदेश में विकित्सा व्यवसाय करना बाहर है उसे अपने जनपद के मुख्य विकित्सा अधिकारी का कार्यलय में जाकर अपनी योग्यता, अंहाता एवं पंजीकरण सम्बन्धित जानकारी सम्बन्धित अधिकारी को ही है जिस माथि में सी० एम० औ० पंजीयन का नाम दिया गया है से ही हम करतारोंगे तो समस्याएँ तो जन्म लेंगी ही अब आप स्वयं ही निर्णय करें कि समस्या खुद की पैदा की हुयी है कि नहीं ? अब इसी विषय को लेकर व्यर्थ का विवाद करना कहाँ की नैतिकता है ?

दूसरी सबसे बड़ी समस्या है और यही समस्या सारे समस्याओं की जननी भी है यह समस्या है संस्थाओं के संचालन की, 25 नवम्बर 2003 का आदेश आने से पहले प्रदेश में लगभग 3 दर्जन शीर्ष संस्थाएँ और लगभग 350 से कम प्रदेश विद्यालय संचालित हो रहे थे अब अधिकार किसी एक संस्था के पास निहित हैं जाकी अधिकारों के लिये परेशान हैं, यह समस्या भी कोई समस्या नहीं है, भारत में लोकतंत्र है हर व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार है, वर्ष 2004 में न्यायालय का एक आदेश आया कि विकित्सा प्रमाणपत्र देने वाली सभी संस्थाएँ अपने पंजीयन का आवेदन शासन में करें अब हर एक संस्था संचालक के पास सुनहरा अवसर था कि शासन में पंजीयन हेतु आवेदन करता और आदेश प्राप्त कर लेता पिछ अधिकार पूर्वक कार्य करता ऐसे में समस्या कहाँ भी ? लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया और अपने लिये स्वयं की समस्याएँ पैदा कर लीं।

जो लोग व्यर्थ का प्रलाप करते हैं कि सरकार हमें कोई अवसर नहीं दे रही है ऐसे लोग भोले-भाले इलेक्ट्रो होम्योपैथों को दिशासंकेत कर रहे हैं, सरकार किसी भेद-भाव नहीं करती है हर एक को कार्य करने का पूर्ण अवसर प्रदान करती है आप ही अवसर लेना न चाहें तो कोई क्या करेगा ? देश और प्रदेश में कार्य करना है तो प्रचलित कानूनों का पालन तो करना ही पड़ेगा।

तीसीं एक समस्या है स्वयं को स्थापित करने की ! यह भी कोई समस्या की ब्रेणी में

नहीं आती है क्योंकि स्थापित होने के लिये कार्य करके स्वयं को प्रमाणित करना पड़ता है यदि हमारा कार्य जनप्रियोगी है तो हमारी पूछ स्वयं ही हो जायेगी कि शायर की यह पंक्तियां कि—

खुद ही को कर बुलन्द  
इतना कि हर लदबीर से पहले —  
खुदा बन्दे से खुद पूछे बता तेरी  
रज़ा क्या है ?

इसलिये कर्म करो गीता में  
भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा  
है— कर्म करो !

फल की चिन्ता नह करो !! हर मतावलम्बी एक ही बात कहता है कर्म प्रधान विश्वरक्षण राखा लेकिन इलेक्ट्रो हार्मोनीयों को कर्म की तुलना में अधिकार की ज्यादा महत्ता है और इसी सोच ने नई-नई समस्याओं को जन्म दिया है सूचना के अधिकार का इस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है जिसके कारण नई-नई बातें जन्म ले रही हैं।

સાહેબની કથા

हमार पश्चिमा उत्तर प्रदेश के कुछ साधियों को सूचना के अधिकार नामक अस्त्र के प्रयोग में महाराट हासिल है, ऐसे-ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनके उत्तर युद्धिष्ठिर के पास भी नहीं होंगे, एक सज्जन ने प्रश्न किया गैटी के अविरिवता इस पद्धति के अविकार में किस वैज्ञानिक का योगदान है? इसका उत्तर क्या हो सकता है यह तो प्रश्न पूछने की कल्पना करने वाले पर निर्भर है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी से काम कर सकते हैं या नहीं भाई मेरे 25 नवम्बर, 2003 काम करने की तो निर्देशिका है, 05-05-2010 रांकियों का समाधान है और 21 जून, 2011 भारत सरकार द्वारा जारी अधिकार पत्र है इसके उपरान्त भी कार्य कैसे करें? यह पूछना समस्याओं को जन्म देने जैसा है। किसी ने होम्योपैथी, सिद्धा और रियबा जैसी चिकित्सा पद्धतियों के मान्यता के बारे में सरकार से प्रश्न किया कि इन पद्धतियों की मान्यता सरकार के किन परिस्थितियों में दी जाए है? सरकार ने दो-दूक जवाब दिया हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसी तरह का एक प्रश्न कि डा० लिखने का अधिकार किस-किस को है? जवाब आया 25 नवम्बर, 2003

यह सारे उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि समस्यायें कहीं नहीं हैं और समस्या अगर कहीं है तो वह हमारे मन में है।

इसलिये मन को स्थिर रखते हुये सिर्फ़ काम करें और समस्याओं को जन्म न दें।

गत तीन वर्षों से हम लगातार हर विकेटका से कहते आ रहे हैं कि प्रत्येक चिकित्सक को लिखितसम्मत दण से प्रिवेटका जनन के लिये अपने जननद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन का आवेदन अवश्य करना चाहिये जबकि प्रेदेश में अवश्यकता व्यवसाय करने के लिये वह आवश्यक है कि आप अपनी अर्हता पंजीयन सम्बन्धित सभी जानकारी जननद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को प्राप्ति करे यह आवश्यक नहीं है कि आपको आवेदनपत्र पर पंजीयन का नम्बर सटी एम्ब ३० कार्यालय से आपको आवृत्त हो करने अवश्यनपत्र प्रेषित करना आवश्यक है और प्राप्ति की रसीद आपने पास रखे हमारे तात्पक कहने के उपरान्त ही हमारा चिकित्सक परा नहीं किस तरह बुन-में रहता है कि उसे पंजीयन सम्बन्धी आवश्यक कर्तव्य के लिये सत्य ही नहीं मिलता है और जब हमी पंजीयन नहीं करने के कारण परेशानी में पड़ जाता है तब स्वयं तो परेशान होता ही है और हमें अवश्यक व्यवसाय में जात देता है पिछले दिनों २९ अप्रैल २०१६ बोर्डुलन्डशाहर जननद के तेजियान घटा चुंचाएं में इलेक्ट्रो होमोपथिकी की प्रेफिट्स कर रहे चिकित्सक भी प्रेम बद शार्म की दिलीनिक का मुख्य चिकित्साधिकारी बुलन्दशाहर द्वारा एक अंतर्क निरीक्षण में प्रेम बद शार्म द्वारा कोई भी बदलावेष उपलब्ध नहीं था जो रासों की अवधार पर वह प्राइवेट प्रेफिट्स कर रहे थे यद्यपि भी जाप इलेक्ट्रो होमोपथिक का पंजीयन चिकित्सक है औं चिकित्सा की इलेक्ट्रो होमोपथी से बचते हैं उनकी विशेषी बस इन्हीं सी है कि उन्होंने न तो अपने साथ बोर्ड पर

## नवीनता तलाशते लोग

के अन्तराल कार्यवाही करने को कहा है। प्रधी के अनुसार उसने 18-05-2016 को सर्वोच्च नियमित द्वाकार विधिकालीन सारे प्रमाण पत्र कार्यवल्य में जम्म कराये थे इसके बावजूद 21-06-2016 वाली शपथ के विरुद्ध शिकायत दायी करा थी गयी परिणामस्वरूप स्थानीय पुलिस 26-06-2016 को जानीका विनाशिक जा कर विधिकालीन कार्य ताकाल कब्ज करने का निर्देश दिया इससे परेशान होकर भी शपथ द्वाका 27-06-2016 को एक बार पुनः अपने प्रमाण पत्र कार्यवल्य में जम्म कराये गये लेकिन कार्यवल्य में स्थाप कर्प से पंजीयन के

प्रति वर्षी भाँग ली ।

बन्द रासा दे पायेगे ? यह बात हम पिछले कई वर्षों से कह रहे हैं कि अधिकारी के लाला-लाला अपने करतव्यों का भी ध्यान दरत्ते जब तक विद्युतिकारक का पाल लेते ही तो कार्यकाही करने वाला अधिकारी सिर्फ़ एक बात कहता है कि इलेक्ट्रो हाईवोल्टेजी टीक है हमें आपके कार्य करने से कोई परेशानी नहीं है, न ही इस कोई उदासन डालते हैं विद्युतियन का जोबेदन तो पिछिसका पौरा करना ही चाहिये ऐसा न करके पिछिसका नायालय जी अवश्यकना करता है और न चाह कर भी करना चाहिये कि जिसे आप ले रहे हैं

अस्तु पंजीयन कराये न स्वयं  
परेशानी मे पड़े और न ही हमे डालें।

**सम्मानित चिकित्सक प्रतिभा ..... प्रथम पेज से आगे**



मध्य पर बाये से दाये ३० हर्ष भीयां—अहमदाबाद, ३० प्रग्नेश शक्तर बाजपेहड महालविद—इहाई, ३० लोला फौ यादार—अपर मुख्य विकासविधिकारी, ३० एना एच इंद्रियाली खेडवरेनी—भी ३० एना एच ३० एसो एना राम—शाहजहां, ३० जयल निकारो भीयां—व्यापक भगवन्नीनी—झी ३० लोला—इन्हें अपना

सुप्रीम कोर्ट के आदेष .... प्रथम पेज से आगे

अतिम निर्णय के अधीन होगा।

सुधीम कौट 23  
जनवरी, 2015 को अंतिम आदेश पारित कर सूका है जब हालांकार को निर्णय लेना चाहिए कि उपरोक्त सरकार द्वारा प्राप्त किये गये इस आदेश का वर्तमान में क्या स्तर है? यह तो तभी होगा जब माननीय सुधीम को लाभ के आदेश को होमायन अपने—अपने ढंग से आदेश का प्रस्तुत करना अब बन्ध हो जाना चाहिए अब तक चिकित्सा पदस्थि के लिये यह कार्यक्रम मंडिर पर सकता है ताकि दाहारणा के बोली अपनी यादानंतर (स्वरूप शक्ति) को तेज़ कीजये मास्टिष्क में वाचिका सल्ला 7886 / 12 अपरित आदेश का एक अंश अपक्रियात्मक आदेश है—

This Court has repeatedly held that Electrohomoeopathy is not a recognised system of medicine and cannot be practiced for curing the diseases or for any purpose. It is also well known principle of law of Human Rights that the medical research cannot be permitted on human, unless it is done under strict supervision of the experts and with permission by Indian Council of Medical Research. There is not such permission given to Electro homoeopathy. On the contrary the representative of ICMR present in the committee constituted by the Central Government, had not accepted as system of

medicine

We strongly deprecate the efforts by the Electrohomoeopaths, who have been warned time and again not to approach this Court for continuing with the practice of unrecognised system of medicine, which is nothing but quackery.

We once again remind all the respondent authorities that the right to health recognised by Art.21 enjoins the State to protect the general public from the practitioners of the unrecognised system of medicine, which have no known methods of medical practice nor their system have been recognised by the Ministry of Health, Government of India, or are regulated by any legislation. इस तरह से न्यायालयों की गढ़ टिप्पणियां लगातार नई व्यवस्था निर्मित करती जा रही हैं एक तरफ हम इलेक्टो होमोपौथी को मजबूती की एक ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं दूसरी ओर ऐसे कार्यक्रम नियम नई विधि तैयार करते रहते हैं। कार्य तो सभी को करना है और कार्य करना भी चाहिये परन्तु कार्य करने के सिवे कभी भी ऐसी कोई गतिविधि

नहीं करनी चाहिये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हित में न हो। पूरे देश में लोग हाई कोर्ट के मुकदमों में अनुतोष (Relief) पाने के लिये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बिना सोचे—सभी प्रयोग किया करते हैं और परिणाम भी सही नहीं ला पाते हैं इसलिये अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का परीक्षण हो जावे जिससे कि अधारधूम प्रयोग बन्द हो जाये। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ने जो पत्र दिल्ली होम्योपैथिक बोर्ड के रजिस्ट्रार को लिखा है उसकी प्रति सूचनार्थ दिल्ली के उप राज्यपाल और दिल्ली राज्य के स्वास्थ्य संचिव को इस आशय के साथ भेज दी गयी है कि आपके अधिकारी किस तरह की उल्लं जलूल नोटिस जारी कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों के मनोबल को गिराने का कुत्सित प्रयास कर रही है जो उनका मूल काम है उससे भटक कर वह कार्य कर रहे हैं जो किसी भी तरह से न्याय की परिधि में नहीं आता है आज पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता है भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में 21 जून 2011 को एक आदेश जारी

कर दिया था इस आदेश का क्रियान्वयन दिल्ली राज्य सरकार को भी करना है दिल्ली राज्य सरकार को बाहिये कि वह अविलम्ब दिल्ली राज्य में भारत सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा जारी 21 जून 2011 के आदेश का विधायिका द्वारा इस तरह की विधायिका द्वारा इस तरह की कार्यवाही करने का साधन न हो सके। कानून और नियमन होने के साथ ही हर तरह की समस्या का समाधान स्वतं हो जाता है इसलिए बार बार समस्यायें न खड़ी हो इसलिए दिल्ली राज्य सरकार को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कोई स्वायी सकारात्मक निर्णल लेना होगा। दिल्ली राज्य सरकार को यह जान लेना चाहिये कि दिल्ली राज्य में लगभग 10 हजार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी से विकित्सा व्यवसाय करते हुए दिल्ली राज्य की जनता को स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रहे हैं दिल्ली के ऐसे सेवा जो विकित्सकों की सेवाओं से विहित है वहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी विकित्सक अपनी सेवायें प्रदान कर रहे हैं अभी दिसम्बर, जनवरी एवं फरवरी के महीनों में जब पूरा दिल्ली राज्य डैंग से कराह रहा था तब हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकित्सक पूरे मनोयोग से दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे थे और सेवा के साथ साथ हर वह सम्बन्ध प्रयास कर रहे थे जिससे कि रोगी रोगमुक्त होकर अपने घर को वापस जाये ऐसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की सेवाओं को बहुत दिनों तक दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता अब समय आमुका है कि दिल्ली राज्य सरकार अविलम्ब 21 जून, 2011 के आदेश का क्रियान्वयन करे और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कोई ऐसी नीति बनावे जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का दूरगामी हित हो और विकित्सकों के सामने जो कमी कमी आधारी समस्यायें आ जाती हैं उसका स्वायी समाधान हो सके इस सम्बन्ध में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मे डिक्ल एसोसिएशन आफ इण्डिया ने प्रदेश सरकार को प्रतिवेदन दे रखा है और निवेदन किया है कि जनहित में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकित्सकों के लिए भारत सरकार ने 21 जून, 2011 को जो आदेश जारी किया है उसका क्रियान्वयन हो सके।

क्या आप चिकित्सक बनना चाहते हैं ?  
 प्रतिस्पूदा की होड़ से बचें !  
 मैंहगी डोनेशनयुक्त  
 मेडिकल शिक्षा लेने में असमर्थ हैं !  
 तो

इलेक्ट्रो होम्योपैथी विकल्प है  
 भारत सरकार के आदेश संख्या

**C.30011/22/2010-HR**

व

उ०प्र० शासन द्वारा जारी शासनादेश  
 संख्या 2914 / पांच—6—10—23रिट / 11  
 एवं

2 सितम्बर 2013 को क्रियान्वित आदेश  
 के अनुसार

प्रदेश में विधि सम्मत ढंग से स्थापित  
 बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक  
 मेडिसिन, उ०प्र०  
 द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों  
 क्रमशः

**M.B.E.H.** अवधि 3 वर्ष  
 अर्हता 10 + 2 P.C.B.

**F.M.E.H.** अवधि 2 वर्ष (4 सेमेस्टर)  
 अर्हता 10 + 2 उत्तीर्ण

**A.C.E.H.** अवधि 1 सेमेस्टर  
 अर्हता किसी भी राज्य परिषद द्वारा  
 पंजीकृत चिकित्सक / 2 वर्षीय मेडिकल  
 अथवा पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम  
 उत्तीर्ण चिकित्सक

में प्रवेश लेकर  
 अधिकारिक चिकित्सक बनकर  
 देश व समाज को चिकित्सा के क्षेत्र में  
 अपना योगदान दें।

विस्तृत जानकारी हेतु कृपया [www.behm.org.in](http://www.behm.org.in) पर log in करें।